# बिहार सरकार
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
## संकल्प

02/वन्यप्राणी–03/2023...316...... पटना–15, दिनांक–14/01/26

विषयः–संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के गठन के संबंध में।

विलुप्तप्राय वन्यजीवों को संरक्षण देने तथा पर्यटकों के बीच वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) से मान्यता प्राप्त बड़े श्रेणी का राज्य का इकलौता चिड़ियाघर है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश में सरकारी चिड़ियाघर (Zoo) के प्रबंधन हेतु सोसाईटी निर्माण का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में उद्यान के जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन, रख–रखाव में सुधार के साथ–साथ आगंतुकों की सुविधाओं में वृद्धि, अंशदान, दान, उपहार, आवंटन आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाली निधि के प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा प्रचार–प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. "संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" के संचालन हेतु इसका संगम ज्ञापन तथा उप–विधि परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

4. "संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी" के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय शासी निकाय तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का प्रावधान है।

5. उक्त सोसाईटी के गठन संबंधी संगम–ज्ञापन तथा उप–विधि पर दिनांक–09.12.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेशः**– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 02/वन्यप्राणी–03/2023...316.../प.व.ज.प., पटना–15, दिनांक–...14/01/26
प्रतिलिपिः– (सानुलग्नक) ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/वन्यप्राणी–03/2023...316.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...14/01/26
प्रतिलिपि :–राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान–सह–सदस्य सचिव, शासी निकाय, संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी, बिहार,पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/वन्यप्राणी–03/2023...316.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...14/01/26
प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–09.12.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–02 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/वन्यप्राणी–03/2023...316.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...14/01/26
प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव